न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 112/2017(जी.सी.एम.एस. 2017/00239)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. महेन्द्र सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 2. फूला सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 2/1. बलविन्द्र सिंह पुत्र फूला सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 3. दुला सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 4. रुलिया सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 4/1. जगिन्द्र सिंह पुत्र रुलिया सिंह उर्फ रूड सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद मानेवाला तहसील व जिला फिरोजपुर पंजाब। 4/2. जगदीश सिंह पुत्र रुलिया सिंह उर्फ रूड सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।		1. कृपाल सिंह पुत्र बाकर सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 2. पहलवान सिंह पुत्र बाकर सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 3. मुस्मात जीतो पत्नी मेहर सिंह पुत्री बाकर सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद अलाणया शहर तहसील फाजिल्का जिला मुक्तसर पंजाब। 4. मुस्मात वीरो पत्नी हरबंस सिंह पुत्री बाकर सिंह जाति रायसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद अलाणया शहर तहसील फाजिल्का जिला मुक्तसर पंजाब। 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 26.12.2017

उपस्थित: 1.श्री कृष्ण कुमार परूथी अधिवक्ता वादीगण
2.श्री सुधीर शर्मा प्रतिवादी संख्या

––निर्णय––

दिनांक: 23.08.2024

1.संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 13 एस ए, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र 6 वीं धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 2065 के खाता संख्या 51/47 के मुरबा नम्बर 8, 9, 12, 59/4 की कुल 8.918 हैक्टेयर भूमि चनन सिंह व सरदारा सिंह को बहिस्सा बराबर अलॉट हुई थी। उक्त विवादित भूमि में मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 13/2 की 0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 18, 19, 20 सालम-सालम, किला नम्बर 21 की 0.152 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.152 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.152 हैक्टेयर, कुल 1.316 हैक्टेयर नहरी, 0.012 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला यानि कुल 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि सरदारा सिंह पुत्र महताब सिंह के हिस्सा में थी। उक्त 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि का बाकर सिंह पुत्र चनन सिंह द्वारा फर्जी व झूठा इकरारनामा तैयार करवाया गया। इकरारनामा के आधार पर बाकर सिंह के द्वारा एक दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश श्रीकरणपुर में पेश किया जो दिनांक 25.09.1998 को खारिज हो गया। उक्त आदेश के विरूद्व बाकर सिंह ने अपर जिला न्यायाधीश श्रीकरणपुर में अपील संख्या 311/1998 पेश की। जो दिनांक 01.02.2002 को अपर जिला न्यायाधीश श्रीकरणपुर द्वारा खारिज कर दी गई। वादीगण के पिता सरदारा सिंह ने न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीकरणपुर में एक मुकदमा जाब्ता फौजदारी 307198 सरकार बनाम बाकर सिंह आदि जुर्म जेर दफा 468, 471, 420 बी. आई. पी. सी. पेश किया। उक्त अभियुक्तगण के विरूद्व मुकदमा दर्ज किया जाकर विरूद्व अभियुक्तगण बाकर सिंह व मोतीराम पटवारी के विरूद्व उपस्थित अभियुक्तगण दिनांक 08.03.2000 को पेश हुए। जिसमें पटवारी ने सरदारा सिंह को सन् 1995 में मृत्यू होना बताया गया। जबकि सरदारा सिंह जीवित था। फिर फौजदारी प्रकरण संख्या 444/98 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीकरणपुर के न्यायालय में आरोप पत्र जैर धारा 447, 147, 148 सी.आई.पी.सी. पेश किया गया। उक्त फौजदारी प्रकरण में दिनांक 16.10.2006 को दोषमुक्त किया गया। अक्टूबर 1998 में उक्त रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा पर वादीगण का कब्जा काश्त था। उक्त रकबा रिसीवर होने पर तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा महेन्द्र

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

सिंह व उसके परिवार के सदस्यों से कब्जा लिया गया। जिसकी निगरानी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में की। जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश दिया कि कब्जा के बारे में फैसला 6 माह में किया जावे। उक्त 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ने कब्जा कर रखा है। दिनांक 18.09.2002 में पटवारी ने कब्जा बाकर सिंह को दे दिया जबकि रकबा मुश्तर्का खाते में है। वादीगण ने उक्त रकबा का कब्जा कृपाल सिंह आदि से मांगा तो वे साफ इन्कार हो गये। प्रतिवादीगण उक्त रकबा पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावे कि चक 13 एस ए के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 13/2 की 0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 18, 19, 20 सालम-सालम, किला नम्बर 21 की 0.152 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.152 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.152 हैक्टेयर, कुल 1.316 हैक्टेयर नहरी, 0.012 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला यानि कुल 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावे तथा उक्त भूमि की दिनांक 27.10.1998 से 19.08.2002 तक रिसीवर के अन्तर्गत जमाशुदा राशि प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाई जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। जवाबदावा अनुसार वादगत भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि है। मुश्तर्का खाता के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जाता है। सरदारा सिंह पुत्र महताब सिंह का एकल कब्जा काश्त नहीं माना जा सकता है। सभी दिगर सहखातेदारों की स्वीकृति के बिना तथाकथित इकरारनामा नहीं किया जा सकता। किसी न्यायालय के द्वारा सन् 1995 में सरदारा सिंह को जीवित होना प्रमाणित नहीं है। कब्जा के लिए न्यायालय ने क्या आदेश दिये, वादीगण को अपने वादपत्र में स्पष्ट करना चाहिए। गैरखातेदार भूमि के सम्बन्ध में वादीगण को दावा करने का अधिकार नहीं है। इसलिए दावा काबिले खारिज है। अतः जवाबदावा पेश कर अर्ज है कि वाद वादीगण मय खर्चा खारिज किया जावे। वादीगण कोई भी रिलीफ पाने का हकदार नहीं है। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i)आया कि क्या वादीगण वादगत भूमि में अपने हिस्सा अनुसार कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है?
-जिम्मे वादीगण-

(ii)आया कि क्या वादीगण रिसीवर दिनांक 27.10.1998 से 19.07.2002 तक भूमि रिसीवर के अन्तर्गत जमाशुदा राशि प्रतिवादीगण स प्राप्त करने के अधिकारी है? -जिम्मे वादीगण-

(iii)आया कि क्या सन् 1995 में 16 नम्बर फॉर्म भरने के समय सरदारा सिंह की मृत्यू हो चुकी थी तथा सरदारा सिंह जीवित होना किसी न्यायालय द्वारा प्रमाणित नहीं माना?
-जिम्मे प्रतिवादीगण-

(iv)आया कि क्या वादीगण का वादकारण हासिल नहीं है? -जिम्मे प्रतिवादीगण-

(v)अनुतोष।

4. वादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर सरदारा सिंह के द्वारा वादीगण के हक में की गई वसीयत को वादपत्र मे प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई। वादीगण का प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई 200 रुपए की कोस्ट पर स्वीकार किया गया।

5. वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 13 एस ए की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 65 के खाता संख्या 51/47 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-2 न्यायालय एडीजे श्रीकरणपुर की दीवानी अपील संख्या 31/92 निर्णय दिनांक 01.02.2002 प्रति, प्रदर्श-3 न्यायालय एडीजे श्रीकरणपुर की दीवानी अपील संख्या 31/92 की डिक्री प्रति, प्रदर्श-4 न्यायालय एडीजे श्रीकरणपुर की निगरानी संख्या 9/99 के निर्णय दिनांक 19.08.2002 प्रति, प्रदर्श-5 एफआईआर नम्बर 2/98 के आदेश दिनांक 28.08.1998 की प्रति, प्रदर्श-6 वसीयतनामा की प्रति, प्रदर्श-7 पटवारी हल्का की घटना वही दिनांक 19.10.1998 की प्रति, प्रदर्श-8 सरदारा सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, प्रदर्शित करवाए व स्वयं फुला सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील प्रतिवादीगण के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। वकील प्रतिवादी ने अपने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

जवाबदावा के समर्थन में स्वंय कृपाल सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। जो सामिल मिसल है। जिरह वकील वादीगण द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 2 व 4 के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश दिए गए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया गया। प्रार्थी महेन्द्र कौर की ओर से अधिवक्ता श्री मनजीत सिंह कचूरा के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया गया।

6. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (i) : आया कि क्या वादीगण वादगत भूमि में अपने हिस्सा अनुसार कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श- 1 चक 13 एस ए की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 2065 के खाता संख्या 51/47 में चनन सिंह व सरदारा सिंह के नाम बहिस्सा बराबर पुख्ताअलॉटी गैरखातेदार दर्ज है। जो की साझा खाता की भूमि है। जवाबदावा में प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार किया है कि वादगत भूमि साझा खाता की भूमि है। वादीगण सहखातेदार सरदारा सिंह के जायज वारिसान है। इस तथ्य को भी प्रतिवादी कृपाल सिंह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि वादीगण का साझा खाता की भूमि में हिस्सा बनता है। जिसे वे प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (ii) आया कि क्या वादीगण रिसीवर दिनांक 27.10.1998 से 19.07.2002 तक भूमि रिसीवर के अन्तर्गत जमाशुदा राशि प्रतिवादीगण स प्राप्त करने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श- 7 पटवारी हल्का की घटना बही दिनांक 19.10.1998 में मौका पर महेन्द्र सिंह को बेदखल कर कब्जा प्राप्त किया गया है। यह विवादित भूमि वादीगण के पिता सरदारा सिंह के नाम मुश्तर्का खाता में दर्ज है। वादीगण सरदारा सिंह के जायज वारिसान है। जो इस भूमि में से हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए रिसीवर के दौरान जमाशुदा राशि भी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (iii) आया कि क्या सन् 1995 में 16 नम्बर फॉर्म भरने के समय सरदारा सिंह की मृत्यू हो चुकी थी तथा सरदारा सिंह जीवित होना किसी न्यायालय द्वारा प्रमाणित नहीं माना ?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। प्रतिवादीगण ने उक्त तनकी के संबध में कोई भी दस्तावेजात यथा मृत्यू प्रमाण आदि पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि 16 नम्बर फॉर्म भरते समय सरदारा सिंह की मृत्यू हो चुकी थी। प्रदर्श-5 न्यायालय सिविल न्यायाधीश श्रीकरणपुर की आदेशिका दिनांक 28.08.1998 के अनुसार तहसीलदार के द्वारा की गई जांच से यह सही पाया गया कि अभियुक्त बाकर सिंह ने परिवादी सरदारा सिंह की मृत्यू होना बताकर अभियुक्त मोतीराम से षड्यन्त्र करते हुए समस्त भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाई गई। वादीगण के द्वारा अपने पिता का मृत्यू प्रमाण पत्र पेश किया। जिसके अनुसार सरदारा सिंह की मृत्यू दिनांक 04.05.1998 को होना अंकित किया गया है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि सरदारा सिंह की मृत्यू 1998 में हुई है। न की फॉर्म नम्बर 16 भरने के समय हो चुकी थी। अतः प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

(iv) आया कि क्या वादीगण का वादकारण हासिल नहीं है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। चूकिं वादगत भूमि साझा खाता की भूमि है जो वादीगण के पिता सरदारा सिंह व चनन सिंह के नाम मुश्तर्का खाता में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

वादीगण सरदारा सिंह के विधिक वारिसान है। इस कारण वादीगण इस साझा खाता की भूमि में से हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रदर्श- 7 पटवारी हल्का की घटना वही दिनांक 19.10.1998 में मौका पर महेन्द्र सिंह को बेदखल कर कब्जा प्राप्त किया गया है। परन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण को कब्जा नहीं देने पर वादीगण के द्वारा हाजा न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 183 में प्रतिवादीगण को बतौर अतिक्रमी घोषित करवाकर, कब्जा दिलवाये जाने बाबत वाद पेश किया गया है। लिहाजा वादीगण को वादकरण हासिल है। अतः प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

(v) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1, 2 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण व तनकी संख्या 3, 4 विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादगीण निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादीगण को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-ःक्रियात्मक आदेशः-

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादपत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 एस ए, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र 6 वीं धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 2065 के खाता संख्या 51/47 के मुरबा नम्बर 12 के किला नम्बर 13/2 की 0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 18, 19, 20 सालम-सालम, किला नम्बर 21 की 0.152 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.152 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.152 हैक्टेयर, कुल 1.316 हैक्टेयर नहरी, 0.012 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला यानि कुल 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि से प्रतिवादीगण को बतौर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाने के आदेश दिए जाते है एंव कब्जा वादीगण को सौपे जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

महेन्द्र सिंह आदि बनाम कृपाल सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 183 आरटीए

मुकदमा नम्बर 112/2017

निर्णय दिनांक :- 23.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ...करणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार परूथी, प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री** ...ीर शर्मा **उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादपत्र ...र्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, भली-भांति साबित होने से स्वीकार ...या जाकर राजस्व ग्राम 13 एस ए, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र 6 वीं धनूर, ...हसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2062 ता 2065 के खाता संख्या 51/47 के मुरबा ...म्बर 12 के किला नम्बर 13/2 की 0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 18, 19, 20 सालम-सालम, ...ला नम्बर 21 की 0.152 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.152 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की ...152 हैक्टेयर, कुल 1.316 हैक्टेयर नहरी, 0.012 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला यानि कुल 5 ...या 5 बिस्वा भूमि से प्रतिवादीगण को बतौर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाने ...आदेश दिए जाते है एंव कब्जा वादीगण को सौपे जाने के आदेश दिए जाते है।

...ाज दिनांक 23.08.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की ...ई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	04	00

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर
दिनांक: 23.08.2024

क्रमांक: रीडर/2024/474

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते